66 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.10.2005

आज दिनांक 10.10.2005 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री सुभाष कुमार,आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री टी0एन0सिंह, अपर सचिव,वित्त	प्रतिनिधि सदस्य
3.	डा0 दिलबाग सिंह, उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
4.	श्री पुनीत कंसल,जिलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	श्री इन्दुधर ,मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,देहरादून ।	पदेन सदस्य
6.	श्री आर0एन0वर्मा,मुख्य अभियन्ता,पेयजल निगम	पदेन सदस्य

अन्य उपस्थिति:–

1. श्री यू0सी0कबडवाल, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
2. श्री दिनेश चन्द्र लोहनी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
3. श्रीवी0एम0उनियाल, लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

विषय कमांक 1:— ट्रान्सपोर्ट नगर में वर्ष 2003—04, व 2004—05 में आवंटित भूखण्डों के अन्तिम मूल्य का निर्धारण किया जाना।

प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के लिए 120231 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तदुपरान्त 52636 वर्गमीटर भूमि को प्लाटो, गोदाम, वर्कशाप, हाफवर्कशाप, दुकान, दुकान/आफिस, सर्विस यार्ड, कियोस्क, धर्मकान्टा, ढाबा, पेट्रोल पम्प, आदि हेतु 566 व्यवसायिक भूखण्ड विकसित किये गये।

दिनांक 20.8.2003 से 23.8.2003 एवं 6.9.2004 को लाटरी ड्रा से ट्रान्सपोटरों को 502 भूखण्ड रूपये—2,425/— प्रतिवर्गमीटर की दर से आवंटित किये गये जो आवासीय दर की भॉति आगणित किया गया। आवंटन पत्र के पैरा 12 एव 13 के अनुसार रूपये—2,425/— प्रतिवर्गमीटर कास्टिंग को प्रोविजनल मूल्य सूचित करते हुए अन्तिम मूल्य बाद में सूचित किये जाने का उल्लेख है। शासनादेश संख्या 5967/9—आ—1—99/72 बैठक/1998 दिनांक 30 नवम्बर 1999 (छाया प्रति संलग्न) की प्रकिया के अनुसार व्यवसायिक भूखण्डों का विकय आवासीय दर की दुगनी दर पर यानि रू0 **4850/—** प्रतिवर्गमीटर की दर से किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया ।

यानि तत्समय व्यवसायिक दर पर इन भूखण्डों की विकी की जानी थी न कि रूपये—2,425/—प्रतिवर्गमीटर की दर से।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकरण की परिसम्पतियों के निस्तारण के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्वांत शासनादेश संख्या 4619/9—आ—1—99/16 समिति/1998 — दिनांक 3000 मार्च 1999 (संलग्न) द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि नई सम्पतियों की कास्टिंग हेतु भौगोलिक रूप से बीच में स्थित 10 प्रतिशत भूखण्डों को नीलामी से बेचने पर प्राप्त मूल्य व आगणित मूल्य, दोनों के औसत मूल्य के आधार पर ही भूखण्डों की बिकी की जानी चाहिए इस प्रकिया का अनुपालन भी नही किया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है दिनांक 15.9.05 को प्राधिकरण में रिक्त कियोस्को के भूखण्डो की नीलामी गयी थी। प्रति कियोस्क जिसका क्षेत्रफल 10.5 वर्गमीटर था, का न्यूनतम प्रतिवर्गमीटर मूल्य रू0 7,238/— व अधिकतम प्रतिवर्गमीटर मूल्य 10,667/— रू0 प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि यदि ट्रान्सपोर्टरो को उनकी मांग के अनुरूप यदि पुराने मूल्य रू0 **2425/–** प्रतिवर्गमीटर की दर से सेलडीड प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो प्राधिकरण को दस करोड़ की हानि अनुमानित है।

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया कि शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाय कि उक्त भूखण्डो की सेलडीड रू0 2425/– प्रतिवर्गमीटर की दर से की जाय अथवा व्यवसायिक दर यानि रू0 4850/– प्रतिवर्गमीटर की दर से।

विषय क्रमांक 2:– भू–अधिग्रहण में हुई प्रगति की समीक्षा।

बैठक में चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि प्राप्त भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन को पत्र दिनांक 9 सितम्बर 2005 व 30 सितम्बर 2005 को भेजे गये है किन्तु अभी तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम माजरा व कारगी की कुल 86.992 हेक्टेयर भूमि जिसका एवार्ड हो चुका है, तथा ग्राम धोरणखास, तरला नागल, रायपुर कुल क्षेत्रफल 63.139 हेकटेयर का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है, के निस्तारण हेतु ब्रोशर इत्यादि छपवा लिये जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से यह अनुरोध कर लिया जाये कि उक्त 05 स्थलो के अतिरिक्त अन्य स्थलो पर यदि आगे कोई कार्यवाही नहीं की जानी है, तो भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को शेष विचाराधीन प्रस्तावों के समक्ष जमा धनराशि लौटाये जाने बावत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 03:– दून माल योजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि दून माल योजना से सम्बन्धित अब तक नियुक्त सभी कन्सलटैन्ट /आर्किटैक्ट के अनुबन्ध समाप्त कर नये कन्सलटैन्ट / आर्किटैक्ट की नियुक्ति टेण्डर के माध्यम से 05 दिन में कर ली जाय ताकि इस योजना को शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। नगर बस अड्डा के क्षेत्रफल 2619.00 वर्गमीटर के हस्तानान्तरण एवं इसकी एवज में उत्तरांचल परिवहन कारपोरेशन को आई0एस0बी0टी0 के निकट ही भूमि दिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

बोर्ड के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि परिवहन कोरपोरेशन के पास उक्त भूखण्ड की लीज डीड/कोई अन्य दस्तावेज नही है किन्तु विगत कई वर्षो से उक्त भूखण्ड उनके कब्जे में है।

विषय क्रमांक 04:–

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जम्मू कश्मीर में भूकम्प की त्रासदी को देखते हुए सी0बी0आर0आई0 रूड़की से भूकम्प रोधी निर्माण के सम्बन्ध में एक वर्कशाप आयोजित कर लें। शासनादेशो के अर्न्तगत आइ0एस0एस0 व नेशनल बिल्डिंग कोड का अनुपालन किया जा रहा है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया।

(डा0 दिलबाग सिंह)
उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0देहरादून।